उत्तर रेलवे

कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबंधक,
उत्तर रेलवे/ जगाधरी वर्कशॉप।

प.सं. : 974-ई/ हित/COVID-19/ज०व०
दिनांक-27.04.2021

सभी अधिकारीगण,
सभी वरि० खंड० अभियंता,
जगाधरी-कालका वर्कशॉप।

विषय- कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी (Social Distancing) बनाए रखने हेतु।

सन्दर्भ- **(i) DOPT F.No. 11013/9/2014-Estt. A-III dated 19.04.2021**

(ii) रेलवे बोर्ड के पत्रांक-**2021/O&M/9/1 dated: 20.04.2021.**

(iii)प्रधान कार्यालय के पत्रांक-**GDMG/COVID-19/2021 dated 21.04.202.**

***

उपरोक्त विषय पर प्राप्त सन्धर्भित पत्र के आदेशुनसार सभी कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी (Social Distancing) बनाए रखने हेतु 50% तक अथवा प्रशासनिक कारण होने पर उससे अधिक कर्मचारियों को कार्य हेतु बुलाया जाएगा, ताकि कर्मचारी आपस मे संपर्क मे ना आयें जिससे COVID. 19 संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

उपरोक्त अनुसार यह निश्चय किया गया है कि जगाधरी वर्कशॉप मे कर्मचारियों को दो अलग.अलग शिफ्टों में कार्य हेतु बाँटा (distribute) किया जाए , जो निम्न प्रकार से होंगी।

शिफ्ट	समय	मध्य अवकाश	दिन	समय
प्रथम शिफ्ट सोमवार - शुक्रवार	सुबह 07:30 से सांयकाल 16:35 बजे तक	12:00 से 12:30 बजे तक	शनिवार	सुबह 07:30 से 12:35 बजे तक
द्वितीय शिफ्ट सोमवार - शुक्रवार	दोपहर 11:30 बजे से रात्रि 20:35 बजे तक	16:00 से 16:30 बजे तक	शनिवार	दोपहर 11:30 से 16:35 बजे तक

उपरोक्त व्यवस्था अस्थाई तौर पर की गई है।

नोट-

1. सभी कर्मचारी मेन गेट से कारखाने में प्रवेश करेंगे। मेन गेट पर अधिक कर्मचारी एकत्रित ना हो इसलिए सूपरवाइज़र/इंचार्ज को निर्देश दिए जाते है कि वह कर्मचारियों/ सूपरवाइज़र को उपरोक्त शिफ्ट के अनुसार लगभग (50-50)% के अनुपात में ही वर्कशॉप मे कार्य हेतु बुलाएँगें। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक कारणों को ध्यान मे रखते हुए इस अनुपात (50-50)% में परिवर्तन किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

2. प्रशासनिक भवन मे कार्यरत कर्मचारियों का प्रवेश कॉलोनी गेट से, सुबह 08:45 बजे से 09:45 बजे तक रहेगा|
3. सभी सूपरवाइज़र/इंचार्ज यह सुनिश्चित करें कि कोई भी कर्मचारी Containment Zone से आकर वर्कशॉप मे ड्यूटी ज्वाइन ना करें| जिस भी कर्मचारी का निवास कंटेनमेंट ज़ोन मे है वह फ़ोन से अपने सीनियर सूपरवाइज़र/ इंचार्ज को सूचित करें, तथा सीनियर सूपरवाइज़र/ इंचार्ज इसकी सूचना समय कार्यालय को ज़रूर दे।
4. गृह मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.04.2021 के निर्देशानुसार जगाधरी एवं कालका - वर्कशॉप में कार्य करते हुए निम्न आदेशों का पालन अवश्य करें:
   क) प्रत्येक कर्मचारी मास्क लगाकर ही कारखाने में प्रवेश करें, तथा काम के दौरान भी मास्क लगाकर रखें|
   ख) सभी कर्मचारी कारखाने में केवल मेन गेट एवं कॉलोनी गेट से ही प्रवेश करेंगें, जहाँ पर उनका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा, तथा इसके बाद सभी कर्मचारी साबुन से अपना हाथ धोकर एवं सेनिटाइज़ करकर ही अंदर आएँगें|
   ग) सभी कर्मचारियों द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, तथा संबंधित सीनियर सूपरवाइज़र/ इंचार्ज सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराएँगें|
   घ) सभी कर्मचारी अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड करके रखेंगें तथा कार्यस्थल पर उनके एप्प का ग्रीन मोड चेक करना सभी सीनियर सूपरवाइज़र/ इंचार्ज की ज़िम्मेदारी होगी|
   ङ) सभी कर्मचारियों को हिदायत दी जाती है कि वह कार्य पर आने हेतु अपना निजी वाहन ही प्रयोग करें|
   च) कार्य के दौरान यदि कोई कर्मचारी अस्वस्थ प्रतीत होता है तो संबंधित सीनियर सूपरवाइज़र/ इंचार्ज उसे शीघ्र रेलवे हस्पताल भेजें|
   छ) जहाँ तक संभव जो सके, मीटिंग्स Video Conferencing के माध्यम से की जायें|
   ज) बाहरी लोगों के कार्यालय मे प्रवेश पर उचित तरीके से कमी लाई जाए।

संलग्न: घोषणा पत्र

कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक,
उत्तर रेलवे, जगाधरी वर्कशॉप|

प्रतिलिपी/ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. सभी यूनियन/ एसोसियेशन (यांत्रिक- विधुत /स्टोर डिपो)-ज०व० एवं कालका-वर्कशॉप|
2. सभी मुख्य कार्यालय अधीक्षक /इंचार्ज जगाधरी एवं कालका-वर्कशॉप|
3. कंपनी कमांडर रेलवे सुरक्षा बल - जगाधरी वर्कशॉप।

OIC
रा०से०
27/04/2021

Scanned with CamScanner